आवास बन्धु
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उ0प्र0शासन

प्रथम तल, जनपथ मार्केट, लखनऊ
दूरभाषः : 0522-2284880, 2627021,
फैक्सः 0522-2612098
E-mail: awasbandhu@gmail.com
website:http://www.awas.up.nic.in

संख्याः /आ.ब.-1/निदेशक-पीएमएवाई/18 दिनांक : मार्च, 2018

प्रेषक,

संजीव कुमार सिन्हा,
निदेशक,
आवास बन्धु, उ.प्र.।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. **निदेशक,**
सूडा, उ0प्र0,
लखनऊ।

4. **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

विषयः प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक 'अफोर्डेबल हाउसिंग-इन पार्टरशिप' के अन्तर्गत अभिकरणों तथा निजी विकासकर्ताओं द्वारा निर्माण हेतु प्रस्तावित भवनों के आवंटन हेतु लाभार्थियों के चयन के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 की अध्यक्षता में दिनांक 23.02.2018 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आवास बन्धु के पत्र संख्या-1811/आ.ब.-1/अधि.नि.-पी0एम0ए0वाई/2018 दिनांक 28.02.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त पत्र के द्वारा निर्गत कार्यवृत्त को संशोधित करते हुए, आवास बन्धु के पत्र संख्या-1826/आ.ब.-1/निदेशक-पी0एम0ए0वाई0/2018 दिनांक 07.08.2018 द्वारा अपर मुख्य सचिव महोदय से अनुमोदित संशोधित कार्यवृत्त निर्गत किया गया है, जो सुलभ संदर्भ हेतु पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है। पूर्व में आवास बन्धु के पत्र संख्या-1811/आ.ब.-1/अधि.नि.-पी0एम0ए0वाई/2018 दिनांक 28.02.2018 द्वारा प्रेषित कार्यवृत्त का संज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है।

उक्त के अतिरिक्त पत्र के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)-सबके लिए आवास भागीदारी में किफायती आवास घटक तथा पी0पी0पी0 योजना के अन्तर्गत स्कीम 2018 में पंजीकरण हेतु आवेदन-पत्र का प्रारूप भी संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया उक्त का अवलोकन कर, निर्देशानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(संजीव कुमार सिन्हा)
निदेशक

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
2. विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1, उ0प्र0शासन।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0।

(संजीव कुमार सिन्हा)
निदेशक

email 08/03/18
1712 13-3-18
AD/Prog-officer
08/03/18
अपर निदेशक 13.3.2018

"संशोधित"

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक 'अफोर्डेबल हाउसिंग-इन पार्टनरशिप' के अन्तर्गत अभिकरणों तथा निजी विकासकर्ताओं द्वारा निर्माण हेतु प्रस्तावित भवनों के आवंटन हेतु लाभार्थियों के चयन के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 23.02.2018 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त

बैठक में निम्न अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः-

1. श्री अमिताभ प्रकाश, अधिशासी निदेशक (आवास बन्धु)/विशेष सचिव (आवास)
2. श्री पी0एन0सिंह, उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
3. श्री महेन्द्र कुमार, अपर आवास आयुक्त एवं सचिव, उ0प्र0 आवास विकास परिषद।
4. श्री देवेन्द्र कुमार पाण्डेय, निदेशक, सूडा, उ0प्र0।
5. श्री अनिल कुमार मिश्रा, सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0।
6. श्री मो0 सलीम, मुख्य अभियन्ता, आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
7. श्री पंकज पाल, विशेष कार्याधिकारी, आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

बैठक में विचार-विमर्श के उपरान्त निम्न निर्णय लिये गयेः-

1. योजना के ए.एच.पी. घटक के अन्तर्गत लाभार्थियों के चयन हेतु पंजीकरण आवेदन फार्म का प्रारूप निदेशक, सूडा तथा निदेशक, आवास बन्धु द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 28.02.2018 तक तैयार किया जायेगा।

2. योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों के चयन हेतु तैयार किये गये पंजीकरण फार्म पर अभिकरणों द्वारा विज्ञापन प्रकाशित कर, उन्हीं आवेदकों से आवेदन प्राप्त करेंगे जो सूडा द्वारा चिन्हित कर उपलब्ध कराये गये है एवं विशेष रूप से यह सूचना विज्ञापन के प्रारूप में सम्मिलित की जायेगी। आवेदन फार्म अभिकरणों की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा।

3. प्रधानमंत्री आवास योजना के उक्त घटक के अन्तर्गत पूर्व से चयनित आवेदक को सूडा द्वारा एस.एम.एस. के माध्यम से विज्ञापन के बारे में सूचित किया जायेगा, जिससे लाभार्थी सम्बन्धित अभिकरण में आवेदन फार्म भर सके।

4. एस0एम0एस0 का ड्राफ्ट श्री पंकज पाल, अधिशासी अभियन्ता (तकनीकी), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा श्री अतुल चौहान, कार्यक्रम अधिकारी, सूडा द्वारा दिनांक 12.03.2018 तक तैयार किया जायेगा।

5. भवन आवंटन निम्न समिति द्वारा किया जायेगाः-

(i)	सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा	अध्यक्ष
(ii)	सम्बन्धित उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण/ उप आवास आयुक्त सम्पत्ति, आवास विकास परिषद सदस्य संयोजक	सदस्य संयोजक
(iii)	सम्बन्धित विकास प्राधिकरण के वित्त नियंत्रक/अधीक्षण अभियन्ता, आवास एवं विकास परिषद,	सदस्य
(iv)	सम्बन्धित परियोजना अधिकारी, डूडा	सदस्य

6. आवंटन में प्राथमिकता तथा उपरोक्त समिति के गठन का प्रस्ताव एच.एफ.ए.पी.ओ.ए. के माध्यम से एस.एल.एस.एम.सी. को सूडा द्वारा अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जायेगा।

7. आवेदन प्राप्त करने हेतु अभिकरणों द्वारा काउन्टर खोले जायेगे तथा आवश्यकतानुसार डूडा के कर्मचारी भी सहयोग हेतु उपलब्ध रहेगे।

अन्त में सभी को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।

'अनुमोदित'

मुकुल सिंहल
अपर मुख्य सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या : 1826/आ०व-1/बी5210-PMAY/18 दिनांक- 07-03-2018

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
3. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
4. निदेशक, सूडा, उ0प्र0, लखनऊ।
5. अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
6. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0।
7. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।

(अमिताभ प्रकाश)
विशेष सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उ0प्र0शासन।

अभिकरण का नाम : ....

पता : ....

विशेष पंजीकरण–2018 (प्रथम चरण)

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)– सबके लिए आवास भागीदारी में किफायती आवास घटक तथा पी0पी0पी0 योजना के अन्तर्गत स्कीम 2018 में पंजीकरण हेतु आवेदन–पत्र

पंजी0 सं0:.................... फार्म संख्या..............

(केवल कार्यालय प्रयोगार्थ)

वर्तमान कलर फोटो हास्ताक्षर सहित

1. आवेदक का नाम ....
2. पिता / पति का नाम ....
3. केन्द्र सरकार / सूडा / डूडा / नगर निगम / नगर पालिका में पंजीकरण प्रमाण–पत्र की संख्या ....
4. आधार नम्बर ....
5. लिंग (पुरूष–01, महिला–02, उभयलिंगी–03)
6. धर्मः–
   हिन्दू–01, मुस्लिम–02, इसाई–03, सिक्ख–04, जैन–05, बौद्ध–06, पारसी–07, अन्य–08 (उल्लेख करें) कोड संख्या
7. जातिः–
   सामान्य–01, अनुसूचित जाति–02, अनुसूचित जनजाति–03, अन्य पिछड़ा वर्ग–04, अन्य वर्ग–05 कोड संख्या
8. आवेदक की बैंक का ब्यौराः–
   क–बैंक और शाखा का नाम :– ____________________
   ख–बैंक खाता संख्या :– ____________________
   ग–बैंक का आई.एफ.एस. कोड संख्या :– ____________
9. क्या आवेदक विकलांग है (हाँ / नहीं)
10. वैवाहिक स्थिति :–
    (विवाहित–01, अविवाहित–02, एकल महिला / विधवा–03) कोड संख्या
11. भवन आवंटन हेतु योजना कोड वरियता कम में अंकित करे।

संलग्नक–निम्न प्रमाण पत्रों की स्व–हस्ताक्षरित छायांप्रति।

आरक्षण विशेष का प्रमाण–पत्र (जिलाधिकारी द्वारा निर्गत), केन्द्र सरकार / सूडा / डूडा में पंजीकरण प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड की प्रति तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत विकलांगता / दिव्यांगता प्रमाण पत्र की प्रति।

(लाभार्थी / आवेदक)

हस्ताक्षर / आंगूठा
पत्राचार का पूर्ण पता
मोबाइल नम्बर–